

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के बारे में ही किया जाए जब कि किसी अन्य प्रशिक्षकारी के बारे से। संबंधित विषय पर यदि पूर्ण तो पञ्च व्यवहार दुड़ा हो तो पञ्च क्रांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे याचिका हो।



ग्राम : घूलीवसीटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5191

दिनांक: 17/08/12

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध सरदार झान सिंह मेमोरियल कॉलेज, बड़ा गांव, मुराद, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संवादित बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वामी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वार्ता निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजार्थ एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442868)

(2) डॉ. रशिम शर्मा, प्राचार्य, संत योगी मानसिंह शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

(3) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, यांत्रिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रौंच परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अवधि निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भागीदार को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः विस्तृत हो जायेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वल्प रु. 25,000/- जमा करने होगे। तत्पश्चात् दी निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छानों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्यली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को बी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अवधि कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसंचिव (सम्बद्धता)